

सं.3(81)सा.प्रशा./एफएसएसएआई-2020
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड,
नई दिल्ली-110002
दिनांक 27 मार्च, 2020

आदेश

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों को देखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई. में आवश्यक सेवाओं का कार्यकरण

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 11013/9/2014-एस्टे(ए-III) दिनांक 22.03.2020 और अ.शा. संख्या 11013/9/2014-एस्टे(ए-III) दिनांक 26.03.2020, जिनके द्वारा कुछ कार्यालयों जैसेकि वेतन तथा लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकारों को लॉकडाउन से छूट दी गई है, के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय और लेखा प्रभाग, वेतन और लेखा प्रभाग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके घर से कार्यालय तक लाने और कार्यालय से घर तक छोड़ने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. - मुख्यालय में निम्नलिखित ड्राइवर्स द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है ताकि इस कार्यालय की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने में कोई बाधा न आए और कार्यालय का कार्य सामान्य रूप से चलता रहे:

क्र.सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	आधार कार्ड संख्या
1.	श्री संदीप	413093139133
2.	श्री संजय बजार	371531770476
3.	श्री बलजोर सिंह परिहार	561284467059
4.	श्री बी. के. सिंह भदौरिया	244880005554

उपर्युक्त स्टाफ / ड्राइवर अपने पहचान पत्र के साथ-साथ इस आदेश की प्रति का एक प्रिंट भी अपने पास रखेंगे।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डा. शोभित जैन)

कार्यकारी निदेशक
दूरभाष: 011-23237433

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी, एफ.एस.एस.ए.आई.-मुख्यालय
3. निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई./प्रयोगशालाएं
4. सीआईटीओ - एफएसएसएआई की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :

1. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के निजी सचिव
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के विशेष ड्यूटी अधिकारी

सं.3(81)सा.प्रशा./एफएसएसएआई-2020
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड,
नई दिल्ली-110002
दिनांक 27 मार्च, 2020

आदेश

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों को देखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई. में आवश्यक सेवाओं का कार्यकरण

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 11013/9/2014-एस्टे(ए-III) दिनांक 22.03.2020 और अ.शा. संख्या 11013/9/2014-एस्टे(ए-III) दिनांक 26.03.2020, जिनके द्वारा कुछ कार्यालयों जैसेकि वेतन तथा लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकारों को लॉकडाउन से छूट दी गई है, के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि हाऊस कीपिंग सेवाओं के लिए नियोजित मैसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड के निम्नलिखित स्टाफ द्वारा सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है ताकि कोविड-19 की महामारी के दौरान कार्य स्थल / कार्यालय में पूरी स्वच्छता बनाए रखी जा सके जिससे अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे वित्तीय अंतरण, वेतन का भुगतान एवं संवितरण के कार्य में कोई बाधा न आए और ये कार्य सामान्य रूप से चलता रहे:

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री बिजेन्द्र सिंह	पर्यवेक्षक
2.	श्री आकाश	हाऊसकीपिंग स्टाफ
3.	श्री अमित किशन	हाऊसकीपिंग स्टाफ
4.	श्री नरेश	हाऊसकीपिंग स्टाफ
5.	श्री विजय	हाऊसकीपिंग स्टाफ
6.	श्री अमित	हाऊसकीपिंग स्टाफ
7.	श्री रघुबीर	माली
8.	श्री प्रदीप	हाऊसकीपिंग स्टाफ
9.	श्री संजय	हाऊसकीपिंग स्टाफ

उपर्युक्त स्टाफ / कर्मचारी अपने पहचान पत्र के साथ-साथ इस आदेश की प्रति का एक प्रिंट भी अपने पास रखेंगे।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डा. शोभित जैन)

कार्यकारी निदेशक
दूरभाष: 011-23237433

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी, एफ.एस.एस.ए.आई.-मुख्यालय
3. निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई./प्रयोगशालाएं
4. सीआईटीओ – एफएसएसएआई की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :
1. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के निजी सचिव
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के विशेष ड्यूटी अधिकारी